रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-08022022-233217
CG-UP-E-08022022-233217

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2022/माघ 18, 1943
No. 97]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2022/MAGHA 18, 1943

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 99(अ).—समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021(2021 का 20) के खंड 46 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुद्री नौचालन सहायता(धरोहर दीपस्तंभ) नियम, 2022 का मसौदा जो केंद्र सरकार निर्मित करना चाहती है, उपर्युक्त खंड के उपखंड(1) की आवश्यकतानुसार उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना हेतु एतद्वारा प्रकाशित किए जाते हैं एवं एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नियमों का मसौदा भारत सरकार के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियाँ सार्वजनिक किए जाने की तिथि से तीस दिनों के समय की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ रखा जाएगा।

उपर्युक्त नियमों के मसौदे से संबंधित आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हो, तो उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर महानिदेशक, दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, ए-13, सेक्टर 24, नोएडा-201301 को अथवा ई-मेल द्वारा noida-dgll@nic.in पर प्रेषित किए जा सकते हैं।

उपर्युक्त नियमों के मसौदे के संबंध में उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों अथवा सुझावों को केंद्र सरकार द्वारा विचारार्थ रखा जाएगा।

मसौदा नियम

1. **लघु शीर्षक, विस्तार-क्षेत्र एवं प्रारंभ-**

   (1) इन नियमों को समुद्री नौचालन सहायता(धरोहर दीपस्तंभ) नियम, 2022 के नाम से जाना जाएगा।

   (2) यह नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषाः**

(1) जब तक अंतर्वस्तु की अन्यथा आवश्यकता न हो, इन नियमों में,

(अ) “अधिनियम” का तात्पर्य समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021(2021 का बीसवाँ) से है।

(ब) “कलाकृतियाँ” का तात्पर्य कलाकृतियाँ मानव निर्मित वस्तुएँ जैसे उपकरण इत्यादि से है जिनके द्वारा स्वाभाविक रुप से किसी दीपस्तंभ का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अथवा धरोहर मूल्य प्रदर्शित किया जाता है।

(स) “विभाग द्वारा विकसित धरोहर दीपस्तंभ” का तात्पर्य उन विरासत दीपस्तंभों से है जिनका विकास महानिदेशक द्वारा उनको आवंटित बजट के माध्यम से किया गया है।

(ड) “धरोहर दीपस्तंभ”का तात्पर्य किसी ऐसे दीपस्तंभ से है जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा विरासत दीपस्तंभ के रुप में निर्धारित किया गया हो एवं जो 75 वर्षों से अधिक पुराना हो अथवा नियम 3 के अंतर्गत वर्णित मापदंडों को संतुष्ट करता हो।

(ई)”दीपस्तंभ”में दीपपोत, धुंध संकेतक, बोया, बीकन अथवापोत का पथ प्रदर्शित किए जाने हेतु प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, संकेत अथवा उपकरण अभिहित हैं।

(फ) “दीपस्तंभ परिसर”का तात्पर्य दीपस्तंभ स्थापित किए जाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहित, को आवंटित, पट्टे पर, किराए पर अथवा बाँटी गई भूमि का क्षेत्र है।

(ज) “नियम” का तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत आने वाले नियमों से है।

(ह) "पर्यटन क्षमता" का तात्पर्य वर्तमान क्षमता अथवा संभावित क्षमता वाला क्षेत्र है जिसे पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और आगे बढ़ाने के लिए विकसित किया जा सकता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्ति जिनको समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम 2021 में परिभाषित किया गया है, के अर्थ क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें उस अधिनियम में दिए गए हैं।

3. केंद्र सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत दीपस्तंभों को अपनी अंतर्निहित शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षमता के दोहन हेतु निम्नलिखित मापदंडों में से किसी के आधार पर धरोहरदीपस्तंभों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) समुद्री महत्व - नौचालन मार्गों का ऐतिहासिक महत्व एवं इन मार्गों पर तत्कालीन प्रचलित व्यापार।

(2) संबद्ध इतिहास - नौचालन सुरक्षा के कारक जिनके कारण दीपस्तंभ विशेष की स्थापना की गई थी, जैसे दुर्घटनाएँ, जहाज का मलबा, भ्रामक मार्गएवं इस प्रकार के अन्य कारण।

(3) स्थान – स्थल आकृति, परिवेश, दर्शनीय पृष्ठभूमि, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक पदचिह्न, वनस्पति एवं जीव इत्यादि।

(4) स्थापत्य मूल्य - संरचना की विशिष्टता, इसकी वास्तुकला एवं इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री।

(5) पर्यटन क्षमता - पर्यटन विकास हेतु राज्य अथवा केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निर्धारित आस-पास के स्थलों पर स्थित दीपस्तंभ।

धरोहर दीपस्तंभों का विकास

4. केंद्र सरकार द्वारा धरोहर दीपस्तंभों का विकास नौचालन सहायता महानिदेशालय के माध्यम से इस प्रकार किया जाएगा कि निम्नलिखित हेतु कोई व्यवधान न हो:

(1) नौचालन सहायता की परिचालन स्थिति;

(2) धरोहरदीपस्तंभ विशेष की संरचना एवं वास्तुकला

5. अन्य बातों के साथ-साथ पर्यटन क्षमता, विकास कार्यों की लागत एवं आवर्ती व्यय के आधार परनिम्नलिखित में से किसी एक के माध्यम सेधरोहरदीपस्तंभों के विकास का तरीकामहानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(1) विभागीय रूप से विकसित धरोहर दीपस्तंभ अथवा

(2) सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

6. नौचालन सहायता कार्य के अतिरिक्त धरोहर दीपस्तंभों का विकास निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया जाएगा।

(1) ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवंधरोहर मूल्यों का संरक्षित किया जाना; अथवा

(2) राष्ट्रीय समुद्री इतिहास प्रदर्शित किया जाना; अथवा

(3) दीपस्तंभ परिसर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना।

7. धरोहरदीपस्तंभों के विकास में निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे किंतु यह विकास केवल इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा:

(1) संरक्षण एवं सुरक्षा

(अ) प्राचीनकाल की प्रचलित तकनीकों एवं उसमें विद्यमान सांस्कृतिक विरासत के साथ धरोहरदीपस्तंभों एवं कलाकृतियों को नौचालन के उद्देश्य हेतु भविष्य में उनका प्रयोग किए जाने के लिए विशेष अनुरक्षण एवं मूल्य संवर्धन के माध्यम से समय-समय पर महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से उनके मूल रूप में संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा।

(ब) उपरोक्त के पश्चात् भीप्राकृतिक आपदा अथवाधरोहरदीपस्तंभ के क्षय की स्थिति मेंजहाँधरोहरदीपस्तंभों की संरचनात्मक अस्थिरता मानव जीवन एवं संपत्ति हेतु खतरा उत्पन्न कर सकती है, केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा जैसी लागू हो, अपेक्षित वैधानिक स्वीकृति की प्राप्ति के उपरांत ऐसी संरचनाओं को हटा दिया जाएगा।

(2) संग्रहालय, आगंतुक केंद्र एवं प्रदर्शनी क्षेत्र स्थापितकिए जाने के माध्यम से मूल्य संवर्धन

(अ) आगंतुकों को धरोहर दीपस्तंभ की पिछली झलक दिखाने के लिए एक ऑनसाइट संग्रहालय या आगंतुकों के लिए केंद्र या प्रदर्शनी क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे, जिसमें एम्फी थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन आदि शामिल हो सकते हैं, महानिदेशक द्वारा विकसित किए जा सकते हैं।

(ब) विकास इस प्रकार किया जा सकता है ताकि जनता को समुद्री समृद्धि में नौचालन सहायता के महत्व से अवगत किया जा सके एवं पर्यावरण संरक्षण, खोज, बचाव तथा समुद्री प्रदूषण को रोकने प्रतिक्रिया पर सार्वजनिक रुप से जनता को जागरूक किया जा सके।

(3) आगंतुकों को धरोहरदीपस्तंभ के समीप रहने एवंदीपस्तंभों के संचालन में शामिल महानिदेशालय के कर्मियों के साथ शांत वातावरण, प्राकृतिक दृश्य, सांस्कृतिक परासरण एवं समुद्र के दृश्य की बदलती परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए सीमित प्रवास(रिसॉर्ट, आगंतुक आवासआदि) की सुविधाएँ।

(4) धरोहरदीपस्तंभों के परिसर का उपयोग सम्मेलनों/कार्यशालाओं/शैक्षणिक सम्मेलनों, विवाहएवं जन्मदिवससमारोह, विवाह वर्षगाँठ आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जा सकता है, जिससे आगंतुकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(5) सभी धरोहर दीपस्तंभोंमें सार्वजनिक सुविधाओं और उपयोगिताओं काप्रबंध किया जाएगा।

8. विभागीय रूप से विकसित धरोहरदीपस्तंभों में निम्नलिखित तौर-तरीके शामिल हैं:

(1) धरोहर दीपस्तंभों के विकास कार्यों को विभागीय रूप से शुरू किया जाना पूंजीगत कार्य की प्रकृति में होगा और उनकी बनाई गई किसी भी संपत्ति को महानिदेशालय की अचल संपत्तियों के अंतर्गत अभिलेखित किया जाएगा।

(2) धरोहर दीपस्तंभों के अनुरक्षणएवं प्रबंधन हेतु जनशक्ति सहित संसाधनों को महानिदेशक द्वारा वाह्य स्रोत के आधार पर नियोजित किया जाएगा एवं इस पर किया जाने वाला व्यय राजस्व खाते की प्रकृति में होगा।

(3) आगंतुकों हेतु शुल्क संरचना का समय-समय पर निरुपित किए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर आम जनता तक पहुंच और जन जागरूकता के उद्देश्य,संचालन की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्रों के माध्यम सेमहानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

(4) आगंतुकों के लिए शुल्क संरचना सभी धरोहरदीपस्तंभों के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित की जाएगी।

(5) धरोहर दीपस्तंभों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन पर और निर्मित कोष के लिए स्रोतों पर होने वाला व्ययसमुद्री नौचालन सहायता अधिनियम(लेखा एवं वित्तीय शक्ति) नियम, 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगा।

(6) धरोहर दीपस्तंभों के विकास एवंनौचालन सहायता के संचालन हेतु स्थापित संपत्तियों काअभिलेखन महानिदेशक द्वारा पृथक रुप से किया जाएगा।

9. सार्वजनिक निजी भागीदारी(पीपीपी) मोड के माध्यम से धरोहर दीहस्तंभों के विकास के तौर-तरीकों में निम्नलिखित तथ्य शामिलहो सकते हैं:

(1) पीपीपी मोड के माध्यम से विकसित किए जाने वाले धरोहर दीपस्तंभों के संबंध में नियम संख्या 7 के संदर्भ में व्यवहार्य परियोजना घटकमहानिदेशक द्वारा निरुपित किया जाएगा।

(2) सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार/स्थानीय सांविधिक निकायों द्वारा जारी सभी प्रचलित दिशा-निर्देशों का पालन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

(3) केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली या ऐसे अन्य अनुमेय उपायों के माध्यम से विकासकर्ता का चयन महानिदेशक द्वारा किया जाएगा।

(4) सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर धरोहरदीपस्तंभों के विकास को क्रियान्वित करने के लिए निर्दिष्ट रियायत अवधि हेतु चयनित विकासकर्ता के साथ महानिदेशक द्वारा एक रियायत समझौता किया जाएगा।

(5) धरोहर दीपस्तंभों के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि क्षेत्र एवंवर्तमान संपत्तियों को यह सुनिश्चित करते हुए निर्धारित किया जाएगा कि नौचालन सहायता के रूप में धरोहर दीपस्तंभ के बुनियादी संचालन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा।

(6) रियायत समझौते के अनुसार चयनित विकासकर्ता द्वारा निर्धारित क्षेत्र एवंवर्तमान परिसंपत्तियों का उपयोग, विकास और प्रबंधन किया जा सकता है।

(7) परियोजना के विभिन्न घटकों जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट, वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने, परियोजना की देखरेख आदि के लिए परियोजना के चालू रहने के दौरान डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्तिमहानिदेशक द्वारा की जा सकती है।

(8) रियायतग्राही धरोहरदीपस्तंभों के विशिष्ट स्थानों पर शुल्क संरचना प्रदर्शित करेगा।

10. **धरोहर दीपस्तंभों के बारे में जनता को जानकारी का प्रसार**

(1) महानिदेशक ऐसे सभी कदम उठा सकते हैं, जैसे टिकट, पोस्टल कवर, धरोहरदीपस्तंभों पर पुस्तिकाएँ, कैटलॉग, यादगार तस्वीरें, वृत्तचित्र, विशिष्ट स्थानों पर संकेतों का प्रदर्शन, राज्य पर्यटन विभागों के साथ जानकारी साझा करना, सोशल मीडिया नेटवर्किंग, आम जनता के लिए सूचना के प्रसार के लिए लाइटहाउस सूचना ऐप आदि का निर्माण, जो आगंतुकों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने, जन जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

(2) महानिदेशक राज्य पर्यटन विभागों के साथ समुद्री इतिहास, सामान्य रूप से दीपस्तंभों के इतिहास और धरोहरदीपस्तंभ विशेष के इतिहास के बारे में स्थानीय पंजीकृत गाइडों को शिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन या समझौते में प्रवेश कर सकते हैं ताकि क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को तालमेल बिठाया जा सके।

(3) महानिदेशक सामान्य रूप से धरोहरदीपस्तंभों या किसी धरोहरदीपस्तंभ विशेष के समग्र पर्यटन पटल को चौड़ा करने के लिए क्षेत्र में कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं।

11. **धरोहर दीपस्तंभों की ब्रांडिंग**

(1) धरोहर दीपस्तंभ के विकास और प्रबंधन के लिए उस की ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार के लिए पर्याप्त प्रावधान पर महानिदेशक द्वारा विचार किया जा सकता है। धरोहर दीपस्तंभ की ऐसी ब्रांडिंग और प्रचार-प्रसार के लिए किया जाने वाला व्यय समुद्री नौचालन सहायता(लेखा एवं वित्तीय शक्ति) नियम, 2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्व खाते के अंतर्गत प्रभार्य होगा।

(2) स्मारिका की दुकान दीपस्तंभ परिसर के भीतर स्थापित की जा सकती है और धरोहर दीपस्तंभ प्रतीक चिन्ह के साथ उत्कीर्णित गुणवत्तापूर्ण प्रचार सामग्री की विस्तृत श्रृंखला आगंतुकों के विक्रय हेतु प्रदर्शित की जा सकती है।

12. धरोहर दीपस्तंभ के विकास, परिचालन, अनुरक्षणएवं प्रबंधन से संबंधित व्यय एवंरसीदेंसमुद्री नौचालनसहायता (लेखा और वित्तीय शक्ति) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार होंगी।

13. धरोहर दीपस्तंभ से संबंधित कोई भी अपराध और दंड समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 केप्रावधानों के अनुसार होगा।

14. अधिनियम एवं इन नियमों के अंतर्गत धरोहर दीपस्तंभों के विकास एवं प्रबंधन के प्रभावी कार्यान्वयन की सुनिश्चितता हेतु विभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना महानिदेशक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से की जा सकती है।

15. कानूनी दस्तावेज़ जिसके माध्यम से महानिदेशक द्वारा नौचालन सहायता की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण की गई है, अधिनियम के अनुसार ऐसी भूमि पर धरोहरदीपस्तंभों के विकास को शामिल करने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

16. महानिदेशक इन नियमों के प्रावधानों के तहत गतिविधियों, सुरक्षा और सुरक्षा के रखरखाव, परिचालन आवश्यकताओं, और कार्यों के निर्वहन को विनियमित करने के लिए उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को विकसित और जारी करेगा, जैसा कि आवश्यक हो सकता है।

[फा. सं. एलएच-11012/1/2022-एसएल]

लुकास एल. कामसुआन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAY

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2022

G.S.R. 99(E).—The draft of the Marine Aids to Navigation (Heritage Lighthouses) Rules, 2022, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (20 of 2021), are hereby published, as required by sub-section (1) of the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be addressed to the Director General, Directorate of Lighthouses and Lightships, Ministry of Ports Shipping and Waterways, A-13, Sector 24, Noida - 201301, or by email at noida-dgll@nic.in, within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short title, extent and commencement-

(1) These rules may be called the Marine Aids to Navigation (Heritage Lighthouses) Rules, 2022.

(2) It shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions:

(1) In these rules, unless the content otherwise requires,

(a) "Act' means the Marine Aids to Navigation Act, 2021 (XX of 2021);

(b) "artefacts" means any manmade objects, equipment, etc. which inherently exhibit the historical or cultural or heritage value of a lighthouse.

(c) "departmentally developed heritage lighthouses" means the heritage lighthouses developed by the Directorate General from the budget allocated to the Directorate General.

(d) "heritage lighthouse" means a lighthouse designated by the Central Government as heritage lighthouse by notification in the Official Gazette which is either more than 75 years old or satisfies either of the criteria mentioned under Rule 3.

(e) "lighthouse" includes any light-vessel, fog-signal, buoy, beacon, or any mark, sign or apparatus exhibited or used for the guidance of ships.

(f) "lighthouse premises" means an area of land acquired, allotted, leased, rented or diverted to the Central Government for establishment of a lighthouse.

(g) "rules" means the rules made under the Act.

(h) "tourism potential" means an area with existing potential or prospective potential which may be developed for facilitating and furthering tourism;

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Marine Aids to Navigation Act 2021will have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Lighthouses under the control of Central Government shall be categorised as heritage lighthouses on the basis of either of the following parameters for harnessing its inherent educational, cultural and tourism potential:

(1) Maritime significance – Historical importance of navigational routes and prevalent trades on these routes at that time.

(2) Associated history – Factors on navigational safety that necessitated establishment of particular Lighthouse, such as accidents, wrecks, misleading approaches and the like.

(3) Location – Topography, ambience, scenic background, religious or cultural footprints, flora and fauna, etc.

(4) Architectural value – uniqueness of structure, its architecture and materials used in its construction.

(5) Tourism potential – lighthouses located at nearby sites earmarked by State or Central agencies for tourism development.

Development of heritage lighthouses

4. The Central Government shall develop the heritage lighthouses through the Director General of Aids to Navigation in a manner that no disruption is caused to the:

(1) operational status of aids to navigation;

(2) structure and architecture of the particular heritage lighthouse

5. The Director General shall determine the mode of development of heritage lighthouses basis *inter alia* tourism potential, cost of development works and recurring expenses, through either of the following:

(1) Departmentally developed heritage lighthouses, or

(2) Public Private Partnership as may be approved by the Central Government.

6. The heritage lighthouses, in addition to their function as aids to navigation shall be developed,

(1) to preserve the historical, cultural and heritage values; or

(2) to exhibit the maritime history of the nation; or

(3) to promote tourism at lighthouse premises.

7. The development of heritage lighthouses shall include but not be limited to:

(1) **Preservation and Protection**.

(a) Heritage lighthouses and its artefacts with prevalent techniques of yore and the cultural lineage therein, shall be preserved and protected in their original form, irrespective of the further utilisation for the purpose of navigation or otherwise, through special maintenance and value addition in such manner as may be specified by the Director General, from time to time.

(b) Notwithstanding the above, in the event of a natural calamity or decay of the heritage lighthouse, where the structural stability of heritage lighthouses pose danger to the human lives and properties, the Director General on approval from the Central Government shall remove such structures pursuant to obtaining requisite statutory clearances, as may be applicable.

(2) **Value addition through establishment of museum, visitor centre and exhibition area**

(a) Infrastructure like an onsite museum or centre for visitors or exhibition areas which may include amphi theatre, musical fountain, etc. may be developed by the Director General, showing past glimpses of heritage lighthouses to visitors.

(b) The development may be done in such manner so as to apprise the public of the importance of aids to navigation in maritime prosperity and also to spread public awareness on environmental protection, search and rescue and response to maritime pollution.

(3) Facilities for limited stay (resorts, visitor accommodation, etc.) for providing the visitor a unique opportunity to stay close to the Heritage Lighthouse and experience the tranquil ambience, scenic view, cultural osmosis of personnel of the Directorate General involved in operation of lighthouses, and changing conditions of the seascape.

(4) Premises of heritage lighthouses may be used for hosting special events like conferences / workshops/educational conclaves, wedding and birthday parties, marriage anniversaries, etc. which will help in increasing visitor's footfall.

(5) Public convenience and utilities shall be provided at all the heritage lighthouses.

8. The modalities for departmentally developed heritage lighthouses may include:

(1) The development works of heritage lighthouses to be taken up departmentally shall be in the nature of capital work and any assets created thereof shall be recorded under fixed assets of the Directorate General.

(2) The Director General shall outsource the resources including manpower for maintenance and management of heritage lighthouse and expenditure thereof shall be in the nature of revenue account.

(3) The Director General shall formulate the fee structures for visitors from time to time, considering access to the general public at large and objective of public awareness, sustainability of operations, and stipulate them through circulars issued by the Director General, from time to time.

(4) The fee structure for visitors shall be displayed at the entrance of all heritage lighthouses.

(5) The expenditure on development, maintenance and management of heritage lighthouses and accrual against built-up corpus shall be in accordance with provisions of Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2021.

(6) The Director General shall distinguish and maintain separate records of assets established for development of heritage lighthouses and operation of aids to navigation.

9. The modalities for development of heritage lighthouses through Public Private Partnership (PPP) mode may include:

(1) The Director General shall formulate feasible project components, in reference with Rule 7, in respect of the heritage lighthouses to be taken up for development on PPP mode.

(2) The Director General shall adhere to all prevailing guidelines issued by the Central Government / local statutory bodies from time to time concerning Public Private Partnerships.

(3) The Director General shall select the developer through competitive bidding or such other permissible measures as per the prevailing guidelines issued by the Central Government.

(4) The Director General shall enter into a concession agreement with the selected developer for the specified concession period for executing the development of heritage lighthouses on Public Private Partnership mode.

(5) Land area and existing assets proposed for development of heritage lighthouses shall be earmarked ensuring that there shall not be any kind of interference with the basic operation of a heritage lighthouse as an aid to navigation.

(6) The earmarked area and existing assets may be utilised, developed and managed by the selected developer as per the concession agreement.

(7) The Director General may engage domain experts for various components of the project such as detailed project report, techno-economic feasibility report, obtaining statutory clearances, overseeing the project etc., during the currency of the project.

(8) The concessionaire shall display the fee structure at conspicuous locations of heritage lighthouses.

10. Dissemination of information on heritage lighthouses to public

(1) The Director General may take all such steps, like bringing out stamps, postal covers, booklets on heritage lighthouses, catalogues, memorable photographs, documentaries, display of signs at conspicuous places, sharing of information with State tourism departments, social media networking, creation of lighthouse information app etc. for dissemination of information to general public, which may help in increasing visitors footfall and consequently promoting maritime safety, raising public awareness and shall help in boosting local business.

(2) The Director General may enter into memorandum of understanding or agreement with the state tourism departments for educating local registered guides about the maritime history, history of lighthouses in general and history of particular heritage lighthouse to synergise tourism potential of the region.

(3) The Director General may engage domain experts in the field for widening the overall tourism canvas of heritage lighthouses in general or a particular heritage lighthouse.

11. Branding of heritage lighthouses

(1) The Director General may consider adequate provision for branding and promotion of heritage lighthouse for its development and management and the expenditure towards such branding and promotion of the heritage lighthouse shall be charged under revenue account in accordance with the provisions of the Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2021.

(2) Souvenir shop may be established within the Lighthouse complex and range of quality promotional materials embossed with heritage lighthouse insignia may be kept for sales to visitors.

12. The expenditure and receipts pertaining to the development, operation, maintenance and management of heritage lighthouses shall be in accordance with provisions of Marine Aids to Navigation (Accounting and Financial Power) Rules, 2021.

13. Any offences and penalties pertaining to heritage lighthouses shall be in accordance with provisions of Marine Aids to Navigation Act, 2021.

14. In order to ensure effective implementation of development and management of heritage lighthouses under the Act and these rules, a dedicated cell comprising different categories under the establishment of Director General may be set up in consultation with the Central Government.

15. The legal documentation through which lands have been acquired by the Director General for the purpose of establishment of aids to navigation shall be amended appropriately to incorporate the inclusion of development of heritage lighthouses on such lands in accordance with the Act.

16. The Director General shall develop and issue suitable Standard Operating Procedures (SOPs), as may be required, to regulate the activities, maintenance of safety and security, operational requirements, and discharge of functions to be performed under the provisions of these Rules.

[F. No- LH-11012/1/2022-SL]

LUCAS L. KAMSUAN Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.08 15:20:41 +05'30'